भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1189**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 फरवरी, 2024/20 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों का संवहनीय उपयोग

1189. श्री सी.आर.पाटिल:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
श्री अनुराग शर्मा:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पीएम-प्रणाम योजना का उद्देश्य देश में उर्वरकों के संवहनीय और संतुलित उपयोग और जैविक खेती को बढ़ावा देना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में रासायनिक उर्वरक की खपत में कमी के माध्यम से उर्वरक राजसहायता की कितनी राशि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार बचाई गई है; और
(घ) सरकार द्वारा देश में रासायनिक उर्वरक की खपत में कमी के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यह लक्ष्य कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क) से (घ): आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को "धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देकर, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाकर, ऑर्गेनिक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर धरती माता के स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को सहयोग देना है।

उक्त स्कीम के तहत, किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में कमी करके किसी विशेष वित्तीय वर्ष में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50% उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस अनुदान का उपयोग किसानों सहित राज्य के लोगों के लाभ के लिए कर सकते हैं।

इस स्कीम को वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 से शुरू किया गया है और राज्यों द्वारा यदि कोई बचत की गई हो, तो उसकी गणना की जाएगी और वित्त वर्ष 2023-24 की समाप्ति के बाद उसे राज्यों को दिया जाएगा।

******